R. 2 5 1=9

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99

## The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY Dent 12 PB-2 Mutan-5

ਜਂ. 170] No. 170] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2008/आश्विन 30, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2008/ASVINA 30, 1930 पान बिन प्रचि

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th June, 2008

No. F. 51-1/2007/NCTE(N & S).—In partial modification of the Hindi version of National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedures) Regulations, 2007 published as No. 231 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) on 10th December, 2007 the following Corrigendum is hereby issued:—

- 1. Under norms and standards for secondary teacher education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree (Appendix-4), relating to eligibility; para 3.2.1 (page 36 of Hindi version) may be read as hereunder:
  - 3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा मास्टर की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अईता में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।
- 2. Under norms and standards for secondary teacher education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree (Appendix-4), relating to terms and conditions of service; para 4.4(d) (page 39 of Hindi version) may be read as hereunder:
  - 4.4(d) संस्थानों के शैक्षणिक स्टॉफ (अंशकालिक स्टॉफ सिंहत) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में इस वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा । सहायक स्टाफ को यूजीसी/राज्य स्रकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।
- 3. Under norms and standards for Master of Education programme leading to Master of Education (M.Ed.) degree (Appendix-5) relating to terms and conditions of service; para 4.4(d) (page 44 of Hindi version) may be read as hereunder:
  - 4.4(d) संस्थानों के शैक्षणिक स्टॉफ (अंशकालिक स्टॉफ सिहत) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में इस वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा। सहायक स्टॉफ को यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

4057 GI/2008

(1

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग संविल लाइन्स, दिल्ली–54

960

- 4. Under norms and standards for Bachelor of Physical Education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) degree (Appendix-8) relating to terms and conditions of service; para 4.2(d) (page 59 of Hindi version) may be read as hereunder:
  - 4.2(d) संस्थानों के अंशकालिक स्टॉफ सिहत शैक्षणिक और अन्य स्टॉफ को सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- 5. Under norms and standards for Master of Physical Education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.) degree (Appendix-9) relating to terms and conditions of service; para 4.2(d) (page 68 of Hindi version) may be read as hereunder:
  - 4.2(d) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टॉफ (अंशकालिक स्टॉफ सिहत) को सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

HASIB AHMAD, Member-Secy.

वहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग संविल लाइन्स, दिल्ली–54